तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1354/2002/भरतपुर बीरमती बनाम चन्द्रवती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 05.12.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, नदबई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–09–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार सहायक कलक्टर ने अप्रार्थी पक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर वादी मु. चन्द्रवती की ओरसे तहरीर मुख्तयारनामा की रोशनी में मुख्तयार आम राधेश्याम को मु. चन्द्रवती की ओर से पैरवी की इजाजत एवं मुख्तयारआम राधेश्याम के बयान दोनों पक्षों की मौजूदगी में पुनः लिपिबद्ध करने के आदेश दिये है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण द्वारा पारित आदेश न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादिया द्वारा पूर्व में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 2 जाप्ता दीवानी के साथ मुख्तयारनामा पेश किया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2001 से खारिज कर दिया तथा मुख्तयारनामा को रिकार्ड पर नहीं लिया था, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश के परे जाकर वादिया की ओर से राधेश्याम को बयान देने व वादिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1354/2002/भरतपुर बीरमती बनाम चन्द्रवती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की ओर से पैरवी करने का निगराधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए निगराधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्दनजर देरी के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली एवं निगराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादिनी अप्रार्थी संख्या–1 ने मुख्तयारआम राधेश्याम के पक्ष में मुख्तयारनामा तहरीर किया, जिसमें कथन किया कि वादिनी पर्दानसीन औरत है एवं बीमार रहती है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत दावे में प्रभावी पैरवी करने की अनुमति मुख्तयारआम राधेश्याम को प्रदान की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1354/2002/भरतपुर बीरमती बनाम चन्द्रवती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जावे तथा वादिनी के स्थान पर मुख्तयारआम राधेश्याम के बयान लिपिबद्ध किये जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से वादिनी को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तथा प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 02 जाप्ता दीवानी को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–07–2001 से खारिज किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को केवल मात्र तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था तत्पश्चात् न्यायालय के समक्ष नवीन तथ्य प्रार्थनापत्र के माध्यम से आये जाने के उपरान्त प्रकरण में निहित समग्र तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार विचारण न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य